वाणिज्य अ.ज.—574

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / मु.अ.(वाणिज्य) / अ.अ.—II / 2014—15 / प्रे8209 दिनांक 31-3-15

आदेश

विषयः— ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के बिजली के बिलो के भुगतान की राशि माफ करने बावत्।

राज्य सरकार ने दिनांक 28.02.2015 से 02.03.2015 तक व 12.03.2015 से 15.03.2015 को हुई ओलावृष्टि से रबी फसलों को नुकसान होने पर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने देने हेतु दिनांक 18.03.2015 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संवंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः—

1. लघु एवं सीमान्त कृषको को, जिनकी बोये गये क्षेत्र की फसल 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार विलिंग माह, दिसम्वर 2014, जनवरी 2015, फरवरी 2015 एवं मार्च 2015 के विद्युत विलों की राशि माफ की जायेगी।
2. जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है, इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।
3. यह राहत पैकेज संबंधित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उंन्होने भूमि पर ठेकेदारी / बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराऐंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएगी।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (R&C), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (R&C), इस संवंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु उर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से,

(बी.एम.भामू)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
अजमेर डिस्कॉम, अजमेर